



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 566 राँची, शुक्रवार, 24 भाद्र, 1945 (श०)
15 सितम्बर, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

अधिसूचना

10 जुलाई, 2023

संख्या-15/स्था०-01-18/2019-152(15)—स्वा०, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद्वारा राज्य के वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवार्थ नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-**

(i) **संक्षिप्त नाम:-** यह नियमावली "वैक्टर जनितरोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवार्थ, (संशोधन) नियमावली 2023" कही जायेगी।

(ii) **विस्तार:-** इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यालयों पर होगा।

- (iii) **प्रभाव की तिथि:-** यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
2. “वैक्टर जनितरोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2019” (यथा संशोधित) के नियम- 4(iv) के वर्तमान प्रावधान निम्नांकित हैं:-
 “वैक्टर जनितरोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली-2019” के मूलपदों पर नियुक्ति निम्नलिखित कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अधीन होगा-

क्रमांक	पदनाम	परीक्षा संचालन नियमावली
1	सहायक कीट विज्ञान वेत्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
2	सहायक वैक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
3	जीव विज्ञान वेत्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
4	निरीक्षक (वैक्टर जनित रोग नियंत्रण)	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
5	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमिडिएट/10 + 2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
5	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
6	बहु ददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
7	कीट संग्रहकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021
8	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/दसवीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021

उक्त प्रावधान को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2019 के मूल पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अधीन होगा-

क्रमांक	पदनाम	परीक्षा संचालन नियमावली
1	सहायक कीट विज्ञान वेत्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित)
2	सहायक वैक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित)
3	जीव विज्ञान वेत्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित)
4	निरीक्षक (वैक्टर जनित रोग नियंत्रण)	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित)
5	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)
6	बहुद्देशीयस्वास्थ्य कार्यकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमिडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)
7	कीट संग्रहकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमिडिएट/10+2 स्तर) नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)
8	क्षेत्रीय कार्यकर्ता	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/दसवीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)

3. “वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली-2019” (यथा संशोधित) के नियम-4(vii) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/ 10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

उक्त प्रावधान को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।
